रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102026-277113
CG-DL-E-13102026-277113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5380] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948
No. 5380] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5594(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के स्तम्भ क्रमश: (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

क्र.सं .	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
637	515ए	अकाजन के निकट एनएच-के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर असम राज्य में 515 अरुणाचल प्रदेश राज्य में ,लिकाबाली सिजि, गारू, डाली, बसर को जोड़ने वाला और

		बामे के निकट एनएच- के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग। 13

[फा. सं. 14012/14/2026-पी एंड एम]
शेख अमीनखान, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची को अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित और बाद में दिनांक 22 जुलाई, 2026 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4033(अ) द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2026

S.O. 5594(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Serial No.	**New National Highway No.**	**Description of National Highways**
(1)	(2)	(3)
637	515A	The highway starting from its junction with NH-515 near Akajan connecting Likabali in the State of Assam, Siji, Garu, Dali, Basar and terminating at its junction with NH-13 near Bame, in the State of Arunachal Pradesh.

[F. No. NH-14012/14/2026-P&M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently last amended vide number S.O.4033 notification dated 22nd July, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.13 15:50:24 +05'30'